संख्या-398/2017/1799/22-2-2016-17(55)/2008

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 07 जून, 2017**

विषय:- जिला कारागार, झांसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शिवदयाल पुत्र श्री उदयी, निवासी जनपद-झांसी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कारागार मुख्यालय के पत्र संख्या-34860/प्रोबेशन-3 (एम-06-09-2016) दिनांक-26-09-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र दिनांक 26-09-2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, झांसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शिवदयाल पुत्र श्री उदयी, ग्राम खरवॉच, थाना ककरबई, जनपद-झांसी का निवासी है। कई वर्ष पूर्व में बन्दी के सहअभियुक्त रामसनेही के पिता की हत्या के केस में नामजद बहादुर सिंह के दोषमुक्त हो जाने पर बन्दी ने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 19.11.1988 को अपरान्ह् लगभग 04.30 बजे भाला एवं बन्दूक से हमला कर 02 व्यक्तियों की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-44/1989 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34, 302/149, 148 में मा0 सत्र न्यायाधीश, झांसी के आदेश दिनांक 07-08-1992 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22.03.2004 द्वारा यथावत् रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 15.04.2016 तक 15 वर्ष 04 माह 29 दिन की अपरिहार तथा 19 वर्ष 02 माह 25 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण सन्तोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने पुन: अपराध करने में अशक्त होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुन: अपराध करने में अशक्त होने की आख्या अंकित की है किन्तु बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, झांसी ने बन्दी के अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अभिमत में कहा है कि बन्दी द्वारा दिनांक 15.04.2016 तक काटी गयी अपरिहार 15 वर्ष 04 माह 29 दिन तथा सपरिहार 19 वर्ष 02 माह 25 दिन की सजा, बन्दी की अत्यधिक आयु, सन्तोषजनक जेल आचरण, सजा के सकारात्मक प्रभाव, जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, झांसी द्वारा की गयी रिहाई की संस्तुति के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी शिवदयाल पुत्र श्री उदयी, निवासी जनपद-झांसी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति की गयी है तथा सक्षम स्तर पर यह पाया गया है कि बन्दी की रिहाई के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक द्वारा संस्तुति नहीं की गयी है। इसके अतिरिक्त 04 सहअभियुक्त अभी कारागार में निरूद्ध है। अतः समय से पूर्व रिहाई का औचित्य स्थापित नहीं होता है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी शिवदयाल (बन्दी संख्या-625/15) पुत्र श्री उदयी, निवासी जनपद-झांसी को फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-398/2017/1799(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-झांसी।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, झांसी।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-398/2017/1799@22-2-2016-17(55)/2008

दिनांक 07 जून, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

जिला कारागार, झांसी में निरूद्ध बन्दी शिवदयाल (बन्दी संख्या-625/15) पुत्र श्री उदयी, ग्राम-खरवांच, थाना-ककरबई, जनपद-झांसी का निवासी है। कई वर्ष पूर्व में बन्दी के सहअभियुक्त रामसनेही के पिता की हत्या के केस में नामजद बहादुर सिंह के दोषमुक्त हो जाने पर बन्दी ने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 19.11.1988 को अपरान्ह् लगभग 04.30 बजे भाला एवं बन्दूक से हमला कर 02 व्यक्तियों की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-44/1989 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34, 302/149, 148 में मा0 सत्र न्यायाधीश, झांसी के आदेश दिनांक 07-08-1992 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22.03.2004 द्वारा यथावत् रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 15.04.2016 तक 15 वर्ष 04 माह 29 दिन की अपरिहार तथा 19 वर्ष 02 माह 25 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण सन्तोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने पुन: अपराध करने में अशक्त होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुन: अपराध करने में अशक्त होने की आख्या अंकित की है किन्तु बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, झांसी ने बन्दी के अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अभिमत में कहा है कि बन्दी द्वारा दिनांक 15.04.2016 तक काटी गयी अपरिहार 15 वर्ष 04 माह 29 दिन तथा सपरिहार 19 वर्ष 02 माह 25 दिन की सजा, बन्दी की अत्यधिक आयु, सन्तोषजनक जेल आचरण, सजा के सकारात्मक प्रभाव, जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, झांसी द्वारा की गयी रिहाई की संस्तुति के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी शिवदयाल पुत्र श्री उदयी, निवासी जनपद-झांसी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति की गयी है तथा सक्षम स्तर पर यह पाया गया है कि बन्दी की रिहाई के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक द्वारा संस्तुति नहीं की गयी है। इसके अतिरिक्त 04 सहअभियुक्त अभी कारागार में निरूद्ध है। अत: समय से पूर्व रिहाई का औचित्य स्थापित नहीं होता है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in